क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

कार्यक्रम का नाम : सुरक्षित गर्भपात सुविधा का कार्यान्वयन

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष : Operationalise safe abortion services (including MVA/EVA and Medical Abortion) at health facilities (Yukti Yojana)

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० शीर्ष : A.1.1.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

(A) **सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के लिये अधिकृति योजना : युक्ति योजना**

इस कार्यक्रम के अंर्तगत जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा चयनित निजी स्वास्थ्य संस्थानों का निर्धारित मानकों पर आकलन कर निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करने हेतु मान्यता दी जाएगी एवं अधिकृति दिशा–निर्देश अनुसार सेवा शुल्क प्रदान किया जाएगा।

इस योजना में निम्न सेवाओं का प्रावधान है :

- प्रथम तिमाही तक गर्भपात सेवाएं
- अपूर्ण गर्भपात के केसों का इलाज करना
- गर्भपात की जटिलताओं का इलाज व आवश्यकता पड़ने पर रेफरल प्रदान करना (महिला की हालत को स्थिर करने के बाद)

इकाई राशि (रू० में):

Reimbursement of Service Providers (Private Nursing Homes) as per GOI guideline under Yukti Yojana

1	First Trimester Abortion Services	Per Case	₹750/-
2	Treatment of First Trimester Incomplete Abortion/ Abortion Complications	Per Case	₹750-
3	Stabilization before Referrals in case of complications	Per Case	₹300/-
4	Transport subsidy to community health intermediaries (ASHA/ANM/AWW/Health Worker) accompanying women at Yukti Yojana accredited sites	Per case	₹100/-
5	Transport subsidy to community health intermediaries (ASHA/ANM/AWW/Health Worker) accompanying women at Govt. Health Facilities.		₹150/-

वित्तीय दिशा–निर्देश :

प्रत्यायित राशि प्रदान करना

प्रत्यायित राशि राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति को हस्तांतरित की जायेगी जिसे जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निजी स्वास्थ्य केन्द्र को सुनिश्चित दरों पर भुगतान किया जाना है। निजी स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा निम्न विकल्पों में से किसी एक को चुना जा सकता है ।

1 इनवॉइस के साथ प्रति माह क्षतिपूर्ति राशि अथवा

2 बैंक गारंटी के एवज में दिया जाने वाला अग्रिम धन। बैंक गारंटी राष्ट्रीयकृत बैंक से हो ।

(a) सेवाएं प्रदान करने के एवज में इनवॉइस द्वारा प्रति माह प्राप्ति :

- निजी स्वास्थ्य स्वास्थ्य को उनके द्वारा हर माह दी गई सेवाओं के ऐवज में इनवॉइस बनानी होगी जिसे हर महीने की 7 तारीख तक उसे सिविल सर्जन, सदस्य सचिव के पास जमा करवाना होगा।

- सदस्य सचिव, जिला प्रत्यायन समिति (District Accreditation Committee- DAC) के सहयोग से इस संबंध में राशि विरमित करने के लिए कार्य करते हुए, 75 प्रतिशत राशि इनवॉइस के प्राप्त होते ही दे देंगे और शेष 25 प्रतिशत राशि इनवॉइस के सत्यापन के पश्चात् दी जायेगी। बची हुई 25 प्रतिशत की राशि को इनवॉइस प्राप्ति के 6 सप्ताह के भीतर भुगतान की जानी है।

(b) प्रदत्त सेवाओं के एवज में जमा किये गए इनवॉइस के आधार पर अग्रिम राशि की पुनः पूर्त्ति के लिये मांग :

- कोई भी अधिकृत निजी स्वास्थ्य संस्थान, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जिला स्वास्थ्य समिति को बैंक गारंटी देकर 50,000 रूपये की अग्रिम राशि मांग सकता है. ।
- निजी स्वास्थ्य केन्द्र उसमें से 80 प्रतिशत राशि को खर्च करने के पश्चात, दी गई सेवाओं के एवज में एक इनवॉइस बनाकर (परिशिष्ट 9 में प्रारूप है) मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन को दिया जायेगा।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन इनवॉइस मिलते ही 75 प्रतिशत राशि का भुगतान कर सकते हैं। शेष 25 प्रतिशत राशि इनवॉइस के प्रमाणीकरण के बाद दी जा सकेगी जिसके भुगतान की प्रक्रिया इनवॉइस मिलने के छः हफ्ते के अंदर पूर्ण की जानी है।
- यदि किसी निजी स्वास्थ्य संस्थान की मान्यता को समाप्त किया जाता है या एम.ओ.यू को रद्द कर दिया जाता है, तब उस निजी स्वास्थ्य संस्थान द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के पास जमा किये गए अंतिम इनवॉइस को जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदन किये जाने के बाद प्रदान किया जाएगा। शेष अग्रिम राशी जिला स्वास्थ्य समिति को वापस करना होगा। बैंक गारंटी का पत्र निजी स्वास्थ्य संस्थान को अग्रिम व अन्य खर्चों के भुगतान के चार सप्ताह के बाद वापस दे दिया जाएगा।

1. समाचार पत्रों के माध्यम से प्रत्येक जिले में इच्छुक प्राइवेट नर्सिंग होम्स को **Form A** में अपने निजी नर्सिंग होम्स की विवरणी भरकर आवेदन देना है, जिला स्तरीय एम0टी0पी0 कमिटि के अनुमोदनोपरांत ही वे एम0टी0पी0 सेवा नियमानुसार उपलब्ध करा सकते हैं ।
2. प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय एम0टी0पी0 गठित कमिटि की बैठक प्रत्येक क्वार्टर में की जानी है ताकि निजी नर्सिंग होम्स के द्वारा दिये गये आवेदनों जॉच हो तथा निरीक्षण पश्चात् उन्हें नियमानुसार सुरक्षित गर्भसमापन सेवायें उपलब्ध कराने हेतु अनुमोदन दिया जा सके ।
3. प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय एम0टी0पी0 कमिटि के मनोनित सदस्यों द्वारा आवेदित निजी नर्सिंग होम्स का निरीक्षण किया जाना है तथा निरीक्षण पश्चात् उपयुक्त पाये जाने पर उन्हें नियमानुसार सुरक्षित गर्भसमापन सेवायें उपलब्ध कराने हेतु अनुमोदन दिया जाना है ।
4. युक्ति योजना के तहत प्रत्यायित निजी नर्सिंग होम्स द्वारा गत वित्तीय वर्ष में दी गयी सेवाओं का भुगतान कुछ जिलों में लंबित है । अतः इस वित्तीय वर्ष में इस बजट शीर्ष में Committted Fund के रूप में भी राशि दी जा रही है । जिससे गत वित्तीय वर्ष के दिशा निर्देशानुसार प्रत्यायित निजी नर्सिंग होम्स के लंबित भुगतान को सुनिश्चित किया जा सके।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी नाम– डॉ० बी.के.मिश्र, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी /श्री गौरव कुमार –उपनिदेशक, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० : 7759860705/ 9431005972